राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक– प. 9(98)राज.6/2014/ | जयपुर, दिनांकः– 28-04-16

परिपत्र

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषयः– राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन)नियम 2007 के नियम 4 के संबंध में वर्णित आबादी से दूरी के संबंध में स्पष्टीकरण।

राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन)नियम 2007 नियम 4 इस प्रकार हैं :–

4. Land for which conversion not to be permitted.- No permission shall be granted for conversion of the-

(a) Land which is under acquisition under the Land Acquisition Act, 1894;

(b) Land falling within the boundary limits of any Railway Line, National Highway, State Highway or any other road maintained by the Central or State Government or any Local Authority as specified in any Act or Rules of the Central or State Government made in this behalf, or within the limit specified in the guidelines of the Indian Road Congress for establishment of industry from the middle point of National Highway/State Highway/Major District Road/Other District Road/RURAL Roads, whichever is longer;

(c) Land falling within the radius of 1.5 km of outer limits of abadi of a village for the purpose of an industrial unit or lime kiln or a crusher Unit or an Industrial area. This restriction shall not apply where the conversion is sought for the brick kiln or non-polluting industry, small or cottage industry. This restriction shall also not apply for the establishment of any class of industry within the radius as specified in the guidelines of Rajasthan State Control Board;

(d) Land falling under catchment areas of a tank or village pond, river, nala, tank, lake or land used as pathway to any cremation or burial ground or village pond, even if not so recorded in the village revenue map or revenue record.

e) Land falling within the radius of 10 meter of boundaries of right of way of underground pipeline of all companies.

(f) Land falling within the radius of 50 meter of boundaries of oil companies storage depot.

(g) Land or building restricted under the 79 and 80 of the Indian Electricity rule 1956.

(h) Land falling within the radius of 1.5 km, of boundaries of defence ordiance depot.

(i) Land falling within the radius of 1.5 kms of outer limits of abadi of a village for the purpose of explosive magazine;

(j) Land falling within the radius of 300 meters of boundaries of petroleum and petrochemical installation.

(k) Land falling within the radius of 2 km of outer limits of pachpadra petroleum refinery.

संपरिवर्तन हेतु आवेदित भूमि के संबंध में कतिपय जिला कलक्टरों द्वारा आवेदित भूमि की ग्राम आबादी से दूरी के संदर्भ में मार्गदर्शन चाहा जा रहा हैं। इस विषय पर समय-समय पर चाहे गये मार्गदर्शन के क्रम में निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती हैः-

1.	आबादी से डेढ किमी दूरी की गणना किस प्रकार की जाए	इस संबंध में राजस्व (ग्रुप-6) विभाग का परिपत्र प. 10(8) राज-6/2016 दिनांक 28.03.2007 जारी हैं। परिपत्र द्वारा यह स्पष्ट किया गया हे कि डेढ किमी दूरी का तात्पर्य राजस्व ग्राम की आबादी की बाहरी सीमा से है ना कि उस ग्राम की ढाणी या मजरे की बाहरी सीमा से है। अतः औधोगिक/एक्पलोजिव मगेजीन प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किये जाते समय दूरी की गणन राजस्व ग्राम की आबादी की बाहरी सीमा से की जावें। अधिसूचनां दिनांक 10.04.2015 से नियम 4 (सी) में संशोधन कर यह भी उपबंधित किया गया है कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार किसी राजस्व ग्राम की आबादी की डेढ़ किलोमीटर परिधि में वह उद्योग स्थापित किये जा सकेगे जो मण्डल द्वारा अनुमत है।
2.	क्या नियम 4(i) अनुसार एक्सपलोजीव मेगजीन प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हेतु आवेदित भूमि की दूरी डेढ किमी होना आवश्यक है। क्या एक्सपलोजीव मेगजीन प्रयोजन में पेट्रोल पम्प एवं गैस गोदाम प्रयोजन भी सम्मिलित माना जायेगे।	एक्सपलोजीव मेगजीन प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करते समय भूमि का ग्राम की आबादी सीमा से डेढ किमी दूरी का ध्यान रखा जाना हैं एवं नियम 4 (i) की पालना की जानी हैं। एक्सपलोजीव मेगजीन प्रयोजन में गैस गोदाम एवं पेट्रोल पम्प सम्मिलित नहीं हैं। गैस गोदाम एवं पेट्रोल पम्प को नियम 2(1)(ख) के तहत वाणिज्यिक प्रयोजन मानकर संपरिवर्तन किया जाता हैं। संपरिवर्तन नियम, 2007 में गैस गोदाम एवं पेट्रोल पम्प स्थापना के संबंध में राजस्व ग्राम की आबादी से दूरी के संबंध में कोई निर्बधन नही है। गैस गोदाम एवं पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करते समय किसी राजस्व ग्राम की बाहरी सीमा से डेढ किमी दूरी को संज्ञान में नही लिया जाना हैं। पेट्रोल पम्प एवं गैस गोदाम स्थापना के लिए संपरिवर्तन हेतु आवेदित भूमि का explosive Department से निर्धारित मानको को ध्यान में रखकर संपरिवर्तन किया जाये। गैस गोदाम एवं पेट्रोल पम्प के LOI holders भूमि संपरिवर्तन पश्चात explosive

		Department द्वारा NOC/License प्रदान करने की शर्त पर निर्माण विस्फोटक विभाग द्वारा निर्धारित मानक अनुसार करेगे।
3.	नियम 4 (j) अनुसार पैट्रोलियम एवं पैट्रो कैमिकल Installation की परिधि से 300 मीटर के भीतर संपरिवर्तन अनुज्ञेय नही है। क्या उक्त दूरी के आधार पर पूर्व में स्थापित पेट्रोल पम्प एवं गैस गोदाम की 300 मीटर परिधि में किसी भूमि को संपरिवर्तन हेतु ध्यान में रखा जाना है।	नियम 2007 के नियम 2 (ll) व नियम 2 (qqq) में पैट्रोलियम एवं पैट्रो कैमिकल Inslallation को परिभाषित किया गया है। जो इस प्रकार हैः– (ll) 'Petroleum and pertrochemical installation' means any premises wherein any place has been specially prepared for the storage of petroleum in bulk, but does not include a well-head tank or a service station;" "(qqq) 'service station' means any premises specially prepared for the fuelling of motor vehicles and includes such places within the premises which have been specially approved by the licensing authority for the servicing of motor vehicles and for other purposes; पैट्रोलियम एवं पैट्रो कैमिकल Inslallation में पेट्रोल पम्प एवं गैस गोदाम सम्मिलित नहीं हैं। अतः स्थापित पेट्रोल पम्प एवं गैस गोदाम के समीप स्थापना हेतु 300 मीटर दूरी उक्त प्रयोजन पर लागू नही होती है। केवल पैट्रोलियम एवं पैट्रो कैमिकल Inslallation की 300 मीटर परिधि में किसी प्रकार का संपरिवर्तन अनुज्ञेय नहीं हैं।

भवदीय,

(डा0 कुंज बिहारी पण्ड्या)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवंश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय राजस्व (स्वतंत्र प्रभार)।
2. निजी सचिव, राजस्व सचिव।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, राजस्व।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. निबंधक राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
6. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय जयपुर।
7. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।

संयुक्त शासन सचिव